तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 3862 / 2004 / दौसा गोविन्दशरण बनाम किन्दूरीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-01-2023	एकल–पीठ श्री खजान सिंह, सदस्य उपस्थितः श्री जगदीश प्रसाद माथुर अधिवक्ता प्रार्थी। श्री समीर अहमद, अधिवक्ता अप्रार्थी। ——— <u>आदेश</u> यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 57 / 2003 में पारित निर्णय दिनांक 30–6–2004 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हाल अप्रार्थी सं0–1 किन्दूरीलाल ने हाल अप्रार्थी सं0 2 हरिशंकर व हाल प्रार्थी गोविन्दशरण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महुवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम घन्तूरी तहसील महुवा की भूमि खसरा नंबर 513 रकबा 53 ऐयर पैतृक सम्पति होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति है। अप्रार्थी सं0–1 किन्दूरीलाल काफी वृद्ध व्यक्ति है तथा अप्रार्थी सं0 2 हरशिंकर राजकीय सेवा में होने से बाहर रहता है इसलिए विवादित भूमि की देखभाल प्रार्थी गोविन्दशरण नहीं कर पा रहा है। गोविन्दशरण ने किन्दूरीलाल को दिनांक 23–6–2002 को धमकी दी कि भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन रख दूंगा या कब्जा करा दूंगा जिसके कारण गोविन्दशरण से किन्दूरीलाल को व हरिशंकर का विवादित भूमि के स्वामित्व व कब्जा को खतरा उत्पन्न हो गया है इसलिए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–8–2003 द्वारा किन्दूरीलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध किन्दूरीलाल ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–6–2004 द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–8–2003 निरस्त कर दिया तथा विवादित भूमि पर तहसीलदार, महुवा को रिसीवर नियुक्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 30–6–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी गोविन्दशरण ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की है। 3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 3862 / 2004 / दौसा गोविन्दशरण बनाम किन्दूरीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी—मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि किन्दूरीलाल द्वारा जब परीक्षण न्यायालय के समक्ष कोई काउण्टर क्लेम पेश किया ही नहीं गया है तो ऐसे में उसे धारा 212 आरटीएट के प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय को केवल इसी बिन्दु पर अपील निरस्त की गई थी उनके द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में विधिक भूल की गई है। विवादित भूमि पर पक्षकारों के मध्य 20 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा हो गया था। विवादित भूमि विभाजन में प्रार्थी के हिस्से में आई थी, तब से प्रार्थी आराजी पर काबिज है तथा उसने आराजी को काबिल काश्त बनाया है और उसकी आजीविका का एक मात्र स्त्रोत यह भूमि ही है। किन्दूरीलाल व हरिशंकर ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि की है, वे प्रार्थी गोविन्दशरण को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं, साज कर उन्होंने विवादित भूमि पर उपखण्ड अधिकारी के जरिये रिसीवर नियुक्त करने की कार्यवाही की है किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने समस्त राजस्व रिकार्ड का अपने निर्णय में उल्लेख कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं पाया है। वे उपखण्ड अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाये कि किस प्रकार आराजी वेस्ट, डैमेज एवं एलीनेट हो रही है, धारा 212 राजस्थान काश्तकारी की शर्तो की आपूर्ति हो पाने से परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को सही रूप से खारिज किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भूमि को इनमीडियो माना है जबकि आराजी निरंतर प्रार्थी गोविन्दशरण के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, उन्होंने बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के तहसीलदार महुवा को विवादित भूमि इनमीडियों मानकर रिसीवर नियुक्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह सर्वथा विधि के विपरीत है। अन्त में उनका कथन है कि राजस्व मण्डल के अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रिसीवर की नियुक्त एक कठोतम कदम है तथा विशेष परिस्थितियों में ही इसे अमल में लाया जा सकता है तथा रिसीवर नियुक्ति की आड़ में काबिज खातेदार व्यक्ति को विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी हरिशंकर पुत्र किन्दूरीलाल एक राजपत्रित अधिकारी है, जो उपखण्ड अधिकारी के पद पर नियुक्त है, उसने अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त करवाया है, जो कि मात्र काल्पनिक आधार पर नियुक्त किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30—6—2004 निरस्त किया जावे तथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 04—8—2003 बाहल रखा जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 3862 / 2004 / दौसा गोविन्दशरण बनाम किन्दूरीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0—1 ने अपनी बहस में बताया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष्ज्ञ किन्दूरीलाल द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रकरण को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गहनता से परिशीलन कर यह पाया है कि हरिशरण राजकीय सेवा के कारण बाहर रहता है जबकि प्रार्थी गोविन्दशरण का कब्जा किस प्रकार से विवादित भूमि पर है वह परीक्षण न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है उन्होंने विवादित भूमि को इनमीडिया माना है तथा उक्त भूमि को खुदर्बुद करने से रोकने के लिए तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है, जो कि उचित आदेश है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता में वृद्धि न हो पावे इसलिए उन्होंने तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है, इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश उचित है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे। 6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महुवा के समक्ष हाल प्रार्थी किन्दूरीलाल द्वारा ही धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थनापत्र वास्ते विवादित भूमि पर रिसीवर कायम करने के लिए पेश किया गया था। 8— परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि छाया प्रति मूल जमाबंदी संवत 2054—57 ग्राम घन्तूरी तहसील महुवा की भूमि खसरा नंबर 512 रकबा 52 ऐयर एवं खसरा नंबर 513 रकबा 55 ऐयर नन्दलाल, किन्दूरीलाल पिसरान मन्नालाल जाति महाजन की खातेदारी में दर्ज है। नामांतरकरण सं0 57 के अनुसार नन्दलाल का 1/2 हिस्सा श्याममोहन पुत्र नन्दलाल व केशरदेवी बेवा नन्दलाल के नाम दर्ज हो गया। मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नंबर 158 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा अंकित है, जो मूल जमाबंदी संवत 2041—44 के अनुसार नन्दलाल, किन्दूरीलाल पिसरान मन्नालाल दर्ज रिकार्ड है। एकीकरण से पूर्व भूमि का खसरा नंबर 286 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा रहा है। मूल खतौनी जमाबंदी संवत 2000—2019 में मूल खातेदार मन्नालाल पुत्र ऊंकार का नाम अंकित है। 9— परीक्षण न्यायालय ने उनके समक्ष उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड रिकार्ड का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि खसरा नंबर 512 व 513 पर उभय पक्षकारान के पूर्वज की खातेदारी दर्ज थी वर्तमान में किन्दूलाल पुत्र मन्नालाल व श्याम मोहन पुत्र नन्दलाल जाति महाजन साकिन महुवा की खातेदारी दर्ज है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 3862 / 2004 / दौसा गोविन्दशरण बनाम किन्दूरीलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जबकि प्रकरण में श्याम मोहन को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

10— राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्तमान प्रार्थी गोविन्दशरण का कब्जा विवादित भूमि पर किस प्रकार से है तथा भूमि इनमीडियो है इस कारण उसको खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिए तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया है।

11— परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड को उल्लेखित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि विवादित भूमि शुरू से ही पक्षकारान के पूर्वज मन्नालाल की खातेदारी में दर्ज रही है चूंकि वर्तमान में खसरा नंबर 512 व 513 किन्दूलाल पुत्र मन्नालाल व श्याम मोहन पुत्र नन्दलाल की खातेदारी में दर्ज है तथा श्याम मोहन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सह खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हिस्सा होता है इसलिए अप्रार्थी सं0 2 अर्थात वर्तमान प्रार्थी हरिशरण का कब्जा है इसलिए रिसीवर की आड़ में उसके कब्जे को नहीं हटाया जा सकता।

12— हमारे विनम्र मत में परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है कि पक्षकारान के पूर्वजों की भूमि है जिसमें सभी पक्षकार विवादित भूमि के खातेदार हैं, अतः इनमीडियों मानते हुए उन्हें रिसवीर से पाबंद नहीं किया जा सकता। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर प्रकरण की पूर्णतया समीक्षा किये बगैर ही अपील को स्वीकार कर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है, जो विधि से परे जाकर पारित किया गया आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

13— परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 30—6—2004 खारिज किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महुवा का निर्णय दिनांक 04—8—2003 बहाल रखा जाता है।

14— इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य